

# अक्षुत समाचार



वर्ष - 15

अंक-41

RNI-No.: UPHIN/2011/43806

लखनऊ, शुक्रवार 09 जनवरी, 2026

प्रातः कालीन संस्करण

(हिन्दी दैनिक)

पृष्ठ-4

मूल्य 1 रुपया

## गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं

### त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश

गोरखपुर, लखनऊ (08 जनवरी (एजेंसी))। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार का संकल्प है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय मिले, हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के इलाज में कोई बाधा न आए और भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफिया व दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्गजयनाथ स्मृति भवन समागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री



योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं। वह स्वयं कुर्सियों पर बैठे मिले, हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के इलाज में कोई बाधा न आए और भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफिया व दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्गजयनाथ स्मृति भवन समागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री

राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में भी मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेदनाथ की प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाया। इसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण किया और गोशाला पहुंचकर गोसेवा की। मुख्यमंत्री ने गावों और गांवों को स्नेहपूर्वक गुड़ खिलाया। मंदिर परिसर में परिजनों के साथ आए बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की, उन्हें स्नेह, आशीर्वाद और चॉकलेट देकर प्रसन्न किया। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश स्पष्ट रहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का समाधान, जरूरतमंदों की सहायता और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

## सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर पीएम मोदी ने असंख्य सपूतों को किया स्मरण, देशवासियों से की अपील

नयी दिल्ली 08 जनवरी (एजेंसी) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बृहस्पतिवार से शुरू होने वाला 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "जय सोमनाथ! सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हो रही है। एक हजार वर्ष पूर्व, जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिंगा नहीं सके। बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार-बार पुनरोद्धार होता रहा।" प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किया। उन्होंने देशवासियों से भी अपील की कि अगर वे भी सोमनाथ गए हैं, तो अपनी तस्वीरें हैशटैग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ जरूर साझा करें। मोदी ने कहा, "सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह अवसर, भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। समय कितना ही कठिन और भयावह क्यों ना रहा हो, उनका संकल्प हमेशा अडिग रहा।" उन्होंने कहा, "मैं 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की कुछ झलकियां भी साझा कर रहा हूँ। यह वह साल था, जब हमने 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया था। 1951 में यह ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की मौजूदगी में संपन्न हुआ था। 'मोदी ने कहा, "सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरकार पटेल और केएम मुंशी के साथ ही कई महान विभूतियों के प्रयास अत्यंत उत्प्रेरणादायक रहे हैं।"

## पटना सिविल कोर्ट और केरल के जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के बाद पूरा कोर्ट कराया गया खाली



पटना 08 जनवरी (एजेंसी) ई-मेल के जरिये जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना को बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी में दावा किया गया कि न्यायालय परिसर में आरडीएक्स से बने तीन आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) लगाये गये हैं, जिन्हें आठ जनवरी को विस्फोट किया जायेगा। सूचना मिलते ही न्यायालय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं। स्थिति

की गंभीरता को देखते हुये जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना के रजिस्ट्रार ने तत्काल आदेश जारी कर सभी अतिवक्तियों को न्यायालय परिसर खाली कर देने का निर्देश दिया। साथ ही जिला बार एसोसिएशन के सचिव से अनुरोध किया गया कि वे सभी अधिकारियों को सूचित कर परिसर को पूरी तरह खाली कराने में सहायता करें। रजिस्ट्रार ने बताया कि यह धमकी भ्रम ई-मेल सुबह के समय प्राप्त हुआ था। ई-मेल भेजने वाले ने अपना नाम अरुण कुमार बताते

नयी दिल्ली 08 जनवरी (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारीया की बेंच सुनवाई कर रही है। कुत्तों पर सुनवाई के दौरान आज भी दिलचस्प दलीलें सामने आईं। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि जब कुत्तों को अचानक हटाया जाता है तो चूहों की आबादी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि वो तो बीमारी फैलाने वाले होते हैं। उन्होंने दावा किया कि कुत्ते संतुलन बनाए रखते हैं। कोर्ट इस मामले में सभी पक्षकारों- डाग लवर्स, कुत्ते काटने के शिकार लोगों, एनिमल राइट एक्टिविस्ट की ओर से पेश वकीलों की दलीलें विस्तार से सुन रहा है। एडवोकेट नकुल दीवान ने सुप्रीम कोर्ट को ट्रेप, न्यूट और रिलीज मॉडल का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कुत्तों के स्वभाव को देखते हुए यह जरूरी है कि उन्हें उसी जगह वापस छोड़ा जाए, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। दीवान ने

यह भी कहा कि बंगलुरु में कुत्तों की माइक्रो-चिपिंग शुरू हो गई है और यह महंगा नहीं है। सीनियर एडवोकेट नकुल दीवान ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शक्युनिटी कुत्तों की बढ़ती तादाद पर रोक लगाने की जरूरत है। दीवान ने कहा कि यह ऐसी समस्या नहीं है, जिसे एक दिन में खत्म किया जा सकता है। हमें कम्युनिटी कुत्तों की बढ़ती संख्या को कम करने की जरूरत है। हम ऐसी स्थिति भी नहीं चाहते, जहां हमारे पास कानून हो, लेकिन उसे लागू न करने की वजह से हमें कोई सख्त कदम उठाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आवारा कुत्तों के मामले में आगे की दलीलें सुनीं, जिसमें वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने तर्क दिया कि यह मुद्दा कुत्तों से आगे बढ़कर सभी आवारा जानवरों तक फैला है और इसके लिए एक संतुलित नजरिए की जरूरत है। एडवोकेट ने



कोर्ट को बताया कि किसी इलाके से कुत्तों को अचानक हटाने से अक्सर अनचाहे नतीजे निकलते हैं, जिसमें चूहों और बंदरों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी शामिल है। उन्होंने कहा कि चूहे, जो कई बीमारियां फैलाते हैं, कुत्तों की मौजूदगी से कंट्रोल में रहते हैं, और चेतावनी दी कि अचानक दखल देने से यह संतुलन बिगड़ सकता है। गुरुवार को सुनवाई फिर से शुरू करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में एक तीव्र टिप्पणी करते हुए कहा कि कुत्ते और बिल्लियां स्वाभाविक दुश्मन हैं और बिल्लियां चूहों को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इसका कुत्तों को हटाने से कोई लेना-देना था? हल्के-फुल्के अंदाज में कहें तो, कुत्ते और बिल्लियां दुश्मन हैं। बिल्लियां चूहों को मारती हैं, इसलिए हमें ज्यादा बिल्लियों और कम कुत्तों को बढ़ावा देना चाहिए। यही समाधान होगा।

## रेलवे में नौकरी के नाम पर घोड़ाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, बिहार-यूपी समेत 6 राज्य में 15 ठिकानों पर छापामारी



नयी दिल्ली 08 जनवरी (एजेंसी) देश के 6 राज्यों के 15 शहरों में गुरुवार सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी शुरू हो गई है। ईडी की यह रेड सरकारी नौकरी के खाली करार तलाशी ली गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि धमकी पूर्वाह्न करीब 11 बजे जिला अदालत के आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राप्त हुई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "तुरंत बम निरोधक दस्ते को निरीक्षण के लिए भेजा गया और अदालत परिसर को खाली करा दिया गया। अब तक कुछ भी नहीं मिला है।" उन्होंने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख ने निर्देश दिया है कि अगर धमकी डूढ़ी पाई जाती है तो मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाए। अदालत परिसर खाली कराए जाने के बाद बाहर खड़े एक वकील ने एक टीवी चैनल को बताया कि ईमेल तमिलनाडु से आया था। वकील ने बताया कि पुलिस ने सभी को अदालत परिसर खाली करने के लिए कहा है और तलाशी ली जा रही है।

अन्य सरकारी विभागों में भर्तियों के नाम पर यह स्कैम चल रहा था। रेलवे के अलावा डाक विभाग, वन विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट, हाईकोर्ट, लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार, डीडीए और राजस्थान संचालनालय आदि के नाम पर यह ठगी गिरोह लोगों को इसकी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगता था। उनकी ओर से खाल लेटर आदि जारी किए जा रहे थे। रेलवे पर भारतीय रेलवे और 40

## जयराम उमेश का मोदी सरकार पर हमला

### बोले- उथल-पुथल भरे दौर में इंडिया-यूएस संबंध

कांग्रेस नेता जयराम उमेश ने भारत-अमेरिका संबंधों को उभारते हुए कहा कि इस से व्यापार पर अमेरिकी प्रतिबंध और आउटसोर्सिंग पर देवस जैसे विधेयक द्विपक्षीय तनाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि इन नई चुनौतियों ने संबंधों में एक शून्य असाभाव्य स्थिति पैदा कर दी है।



दूसरे दौर की जीत के दौरान व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले लोगों में प्रधानमंत्री भी शामिल थे। 7 पर एक पोस्ट में उमेश ने कहा कि ट्रंप के दूसरे दौर में व्हाइट हाउस पहुंचने वाले पहले लोगों में प्रधानमंत्री के शामिल होने के बावजूद भारत-अमेरिका संबंध अत्यंत उथल-पुथल भरे दौर से गुजरने वाला बताया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के

किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे भारत की स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। राज्यसभा सांसद रमेश ने अपने पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहायगी सीनेटर लिंडसे ग्राहम एक कि-योक पेश कर रहे हैं, जिसके तहत रूस के साथ भारत के व्यापारिक और अन्य संबंधों के कारण उस पर व्यापक नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे पहले, सीनेटर बर्नी मोरेनो ने एक विधेयक पेश

किया था, जिसमें श्वाउटसोर्सिंग भुगतान करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर 25-कर लगाने का प्रस्ताव है। चुनौतियों को बढ़ाते हुए उन्होंने आगे कहा कि भारत की अत्यधिक असुविधा को और बढ़ाने के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप लगातार फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। रमेश ने बदलते हालात पर प्रकाश डालते हुए कहा, "द्विपक्षीय संबंधों में निरसंदेह एक शून्य असाभाव्य स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री के तुष्टीकरण वाले बयानों के बावजूद, हर दिन एक नई चुनौती है। इससे पहले, 6 जनवरी को, जयराम रमेश ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव को अमेरिकी हस्तक्षेप ने रोक दिया था। उन्होंने बताया कि 10 मई, 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से संपर्क होने के बाद संघर्ष रुका था।

## प्रतीक जैन कौन हैं?

### ईडी रेड के बाद उनके घर क्यों पहुंची ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने छापेमारी को लेकर भाजपा की जमकर आलोचना की और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक और वित्तीय आकड़ों को चुराने की कोशिश करने वाले सबसे बड़े डाकू बताया।



नई दिल्ली 08 जनवरी (एजेंसी) इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपीएसी) के सह-संस्थापक और निदेशक प्रतीक जैन मनी लॉन्गिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में आ गए हैं। गुरुवार को आईपीएसी के कोलकाता कार्यालय और जैन के आवास

काफ़ी हंगामा हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यालय पहुंची और कुछ फाइलें अपने कब्जे में लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और एजेंसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। ममता बनर्जी ने छापेमारी को लेकर भाजपा की जमकर आलोचना की और उन्हें तृणमूल

प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीआईटी) बॉम्बे से इलाक़ा अमियंत्रिकी और सामग्री विज्ञान विभाग की, जहां उन्होंने एक संस्थापक सदस्य बने और एजेंसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। ममता बनर्जी ने छापेमारी को लेकर भाजपा की जमकर आलोचना की और उन्हें तृणमूल

आरपीएफ, टीडीपी की नौकरी देने का झंझा दिया जाता था। इन्हें दो से तीन महीने तक सैलरी के नाम पर भी रकम ट्रांसफर की जाती थी। इसी के नाम पर उसने ठगी कर लेते थे। रेलवे में टेक्नीशियन जैसे पदों पर भी यह ठगी की जाती थी। फिलहाल ईडी इस मामले में बिहार, बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में छापेमारी कर रहा है। इन 6 राज्यों के कुल 15 शहरों में ईडी की रेड जारी है। यूपी के गोरखपुर में ईडी ने 2 स्थानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा इलाहाबाद में। और लखनऊ में भी एक जगह छापेमारी कर रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर में एक स्थान पर और मैतिहारी में भी 2 जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी इस गैंग के 2 ठिकानों की जानकारी मिली है। यहां छापेमारी कर रही है। इसके अलावा केने राजकोट में भी छापे चल रहे हैं। केरल के भी 4 शहरों में ईडी ने रेड मारी है।

## यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स गायब! वोटर्स लिस्ट पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, लगाया गंभीर आरोप

लखनऊ 08 जनवरी (एजेंसी) समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने गुरुवार को भाजपा पर उत्तर प्रदेश में फर्जी वोट बनाने की कोशिश का आरोप लगाया। यह आरोप विशेष गहन फुलरिखण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से 28 लाख नाम हटाए जाने के बाद लगाया गया है। यह आरोप विशेष गहन फुलरिखण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से 28 लाख नाम हटाए जाने से बात करते हुए यादव ने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूँ कि जब वे मतदान केंद्र पर पहुंचें तो मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। यादव ने कहा कि जनता को अपने वोट को लेकर आश्वस्त रहना चाहिए और भाजपा के झूठे प्रचार में नहीं फंसना चाहिए। पहली बार हम देख रहे हैं कि भाजपा नेता उत्तर प्रदेश में एसआईआर से फंसे हुए हैं। भाजपा नेता कह रहे हैं कि मतदाताओं की संख्या बढ़ गई जानी चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा फर्जी वोट डालती है तो समाजवादी पार्टी के लोग, जो स्पीडिए प्रहरी का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ एसआईआर दर्ज करायेंगे। पूरी भाजपा फर्जी वोट डालने के मिशन पर है क्योंकि इतने सारे वोट काटे गए हैं। मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों को वोटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे रहे हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निबंधन अधिकारी (सीईओ) ने राज्य में विशेष गहन फुलरिखण (एसआईआर) के जमागना चक्र के पूरे होने के बाद मसौदा मतदाता सूची के प्रकशन की घोषणा की। मसौदा मतदाता सूची से कुल 289 करोड़ नाम हटा दिए गए। प्रेस को संबोधित करते हुए नवदीप सिन्हा ने कहा, हमें लगभग 12 करोड़ 56 लाख जनगणना प्रवर्त प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि इतने लोगों ने प्रवर्त पर हस्ताक्षर करके यह दर्शाया कि उनके नाम मसौदा सूची में शामिल किए जाने चाहिए। ऐसे मतदाताओं की संख्या 4623 लाख थी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 217 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं अपना निवास स्थान बदल चुके हैं अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराते समय जिस घर में रह रहे थे उसे छोड़ चुके हैं स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं।

## टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद केंद्र का बड़ा कदम, राज्यों से प्रभावित शिक्षकों का विस्तृत बयान तलब

नई दिल्ली। टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) से जुड़े माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 और 17 नवंबर 2025 के निर्णायक फैसलों के बाद केंद्र सरकार ने देश-भर में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल की है। शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं सक्षमता विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित शिक्षकों की संख्या, उनकी सेवा-स्थिति तथा संभावित प्रभावों का विस्तृत विवरण शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। संयुक्त सचिव (संस्थागत एवं प्रशिक्षण) द्वारा 3 दिसंबर 2025 को जारी डी.ओ. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जिन शिक्षकों

की सेवानिवृत्ति में पाँच वर्ष से कम का समय शेष है, उन्हें टीईटी अर्जनी किरफे बिना सेवा में बने रहने की अनुमति होगी। हालांकि पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य रहेगा। वहीं, आरटीई अधिनियम से पूर्व नियुक्त तथा जिनकी सेवानिवृत्ति में पाँच वर्ष से अधिक समय शेष है, ऐसे शिक्षकों के लिए दो वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने तथा केवल टर्मिनल लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान लागू हो सकता है। केंद्र सरकार के अनुसार, इन निर्णयों के बाद व्यक्तिगत शिक्षकों की संख्या 3 लाख 40 हजार 205 है। इन शिक्षकों को आकलन करे उपलब्ध कराए जाने वाले अर्जनों का पूर्ण सत्यापन की संख्या में अग्रावेदन प्राप्त हुए हैं। अग्रावेदन

में यह गंभीर चिंता व्यक्त की गई है कि सेवा के अंतिम चरण में खड़े शिक्षकों को टीईटी जैसी परीक्षा उत्तीर्ण करना न केवल अत्यंत कठिन है, बल्कि मानसिक दबाव और असुखा भी उत्पन्न करता है। इसके साथ ही दशकों के अनुभव से युक्त शिक्षकों के संभावित बाहर होने से राज्यों की शिक्षा व्यवस्था में शैक्षणिक रिक्तता पैदा होने की आशंका भी जताई गई है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित शिक्षकों की सटीक संख्या का आकलन करें उपलब्ध कराए जाने वाले अर्जनों का पूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करें राज्य-विशेष प्रभावों का

विश्लेषण प्रस्तुत करें तथा प्रभावित शिक्षकों को संभावित राहत देने से जुड़े कानूनी एवं नीतिगत विकल्पों पर स्पष्ट टिप्पणियाँ भेजें। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया है कि राज्यों के भर्ती नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (छब्बन) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इस संदर्भ में केंद्रीय विद्यालय संगठन (इग्टे) के अद्यतन भर्ती नियमों का उल्लेख करते हुए राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्र और राज्य सरकारों लाखों अनुभवी शिक्षकों को हित में कोई संतुलित, व्यवहारिक और न्यायसंगत समाधान निकाल पाती है।

कराई जानी चाहिए। शिक्षा जगत में इस पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहला अवसर है जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केवल अध्यापक शिक्षा परिषद (छब्बन) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इस संदर्भ में केंद्रीय विद्यालय संगठन (इग्टे) के अद्यतन भर्ती नियमों का उल्लेख करते हुए राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्र और राज्य सरकारों लाखों अनुभवी शिक्षकों को हित में कोई संतुलित, व्यवहारिक और न्यायसंगत समाधान निकाल पाती है।

## सम्पादकीय

## एक बेतुका आदेश

हाल के दिनों में देश की शीर्ष अदालत से लेकर आम विमर्श तक में आवारा कुत्तों का मामला सुर्खियों में रहा है। इस संवेदनशील, जटिल व विवादास्पद मुद्दे से जुड़े कई तरह के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में बिहार के एक नगर निगम के बेतुके फरमान को लेकर आलोचना की जा रही है। यह निर्णय न केवल बेतुका है बल्कि हास्यास्पद भी है। बिहार के सासाराम के नगर निगम ने शिक्षकों से सड़कों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की गिनती करने को कहा है। दरअसल, अदालत के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों की इस बाबत जवाबदेही तय की गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों व गिरते परीक्षा परिणाम के बावजूद शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर हर छोटे-बड़े सरकारी अभियान में शिक्षकों की जिम्मेदारी लगाना प्रशासनिक विफलता को भी उजागर करता है। कभी जनगणना, कभी चुनावी ड्यूटी तो कभी आपदा संरक्षण, और अब कुत्तों की गिनती का बेतुका काम शिक्षकों के जिम्मे लगा दिया गया है। दरअसल, बिहार के शिक्षक विषम परिस्थितियों के चलते पहले ही अत्यधिक दबाव में हैं। जिसके कारण वे शैक्षणिक जिम्मेदारियों व गैर-शिक्षण दायित्वों के लगातार बढ़ते बोझ के बीच संतुलन बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि हर इस तरह का व्यवधान कक्षा के समय, पाठ योजना और छात्रों की सहभागिता को गहरे तक प्रभावित करता है। निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा बच्चे के विकास की नींव रखती है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक रहता है। वर्षों से पेश की जा रही एएसईआर रिपोर्टों में कई बार उजागर किया गया है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम देश में सबसे कमजोर रहा है। जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में जब पहले ही बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहता है तो शिक्षकों को एक और गैर-शैक्षणिक कार्य के लिये कक्षाओं से बाहर निकालना, निरस्रदेह शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम ही कहा जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि यह आदेश कई वास्तविक खतरों से भरा है। आवारा कुत्तों की गिनती करना शिक्षण के कागजी कार्य के समान सहज नहीं है। निश्चित रूप से अनेक शिक्षक ऐसे होंगे जो कुत्तों से डरते भी होंगे। खासकर शिक्षिकाओं के लिये यह कार्य खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ लोग इस गणना प्रक्रिया में वास्तविक खतरे का सामना भी कर सकते हैं। इस बात का संकेत शीर्ष अदालत की टिप्पणी में भी मिलता है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि किसी कुत्ते के मन को पढ़ना या यह अनुमान लगाना अरसंभव है कि कोई जानवर कब आक्रामक हो जाएगा। निश्चित रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों को ऐसे कार्य करने के लिए कहना, उनकी सुरक्षा के लिये भी चुनौती होगी। खासकर तब जब आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं और रेबीज से होने वाली जीवन क्षति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में नगर निगम को आदेश की तार्किकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण और जन सुरक्षा उपायों को लागू करने में नगरपालिकाओं की विफलता पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद एक स्थानीय निकाय ने अपनी मूल जिम्मेदारी शिक्षकों पर थोपकर इसका जवाब दिया है। निश्चित रूप से यह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा है। निर्विवाद रूप से इस बेतुके आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की जरूरत है। सही मायनों में नगरपालिका के अधिकारियों को अपना काम करना चाहिए और शिक्षकों को भी अपना काम करने की आजादी दी जानी चाहिए। यह समस्या केवल शिक्षकों की ही नहीं है बल्कि यह हमारे नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। ऐसे में शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्यत्र काम सौंपना, कहीं न कहीं छात्रों और छात्राओं को शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित करने जैसा भी है।

## पंडित नेहरु सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के विरुद्ध थे

तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध करते हुए 17 से अधिक पत्र लिखे थे। राष्ट्रपति तथा कैबिनेट मंत्रियों को लिखे पत्रों में उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जरूरत पर प्रश्न उठाया था और उन्हें इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने से बहुत हतोत्साहित किया था। उन्होंने सरकारी संचार माध्यमों को निर्देश दिया कि समारोह की कवरेज कम से कम की जाए।

उन्होंने भारतीय दूतावासों को भी निर्देश दिए कि वह सोमनाथ ट्रस्ट को सहायता प्रदान न करें। कुल मिलाकर इन पत्रों ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के विरोध तथा सहजता को प्रदर्शित किया। 21 अप्रैल 19६1 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें आश्चर्यत किया कि सोमनाथ के द्वारों को लेकर गढ़े जा रहे अख्यान पूरी तरह से गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 28 अप्रैल 19६1 को भारत के तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री आर.आर. विवाकर को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय को सोमनाथ मंदिर के निर्माण संबंधी कवरेज बारे प्रचार को निष्क्रम करने को कहा और कहा कि यह समारोह विश्व में भारत की छवि को क्षति पहुंचा रहा है। 1 अक्टूँन 2 मई 19६1 को राष्‍ट्रीय के मुख्यमंत्रियों को 2 पत्र लिखे जिन्में उन्होंने अग्रह जन संस्थान तथा अपने खुद के सहयोगियों की श्र्मूलियत का सम्मान न करते हुए उनसे कहा कि भारत सरकार सोमनाथ मंदिर से संबंधित समारोहों से खुद को दूर रख रही है। 1 अगस्त 19६1 को मुख्यमंत्रियों को लिखे अपने पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर किए जा रहे जोरदार प्रचार को भारत की धर्मनिरपेक्ष की छवि को कमजोर करने वाला बताया और कहा कि इससे विश्‍वेष में बहुत बुरा प्रभाव जा रहा है। पाकिस्तान के विदेशपूर्ण प्रोग्रेड्‌डा पर प्रश्न उठाने की बजाय उन्होंने तर्क दिया कि सोमनाथ का पुनर्धर्माण भारत की विश्वस्वीनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने 20 जुलाई 19६0 को तत्कालीन केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री काएम. मुंशी को लिखे पत्र में प्रश्न उठाया कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए, जबकि देश में आवासों की कमी है तथा आष्‍यक स्थिति खराब है। 1३ जून 19६1 को उध-राष्‍ट्रपति ड.एस. राधाकृष्‍णन को लिखे अपने पत्र में उन्होंने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह को एक अनावश्यक 'कोलाहल' बताया और स्वीकार किया कि उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को इसमें शामिल होने से रोकने का प्रयास किया था। 17 अप्रैल 19६1 को चीन में भारत के राजदूत केएम. पाणिक्कर को लिखे अपने पत्र में नेहरू ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर में राष्ट्रपति के दौरे के प्रभावों को कम करने का प्रयास किया था। तत्कालीन सौराष्‍ट्र के मुख्यमंत्री यूरएन. धेवार को 21 अप्रैल 19६1 को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर समारोह के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सरकारी फंड पर आपत्ति जताई तथा तर्क दिया कि मंदिर एक सरकारी मामला नहीं है। 22 अप्रैल 19६1 को नवगणक के जाम साहिब दिग्गिजय सिंह जी को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने सोमनाथ ट्रस्टियों के पवित्र नदियों के जल तथा मिट्टी के लिए विदेशी मिशनों तक पहुंचने पर चिंता व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि इससे एक गलत सरकारी धारणा बनती है। उन्होंने इसे एक निजी मामला बताते हुए भारत सरकार को इससे दूर रखा। यहां तक कि सौराष्‍ट्र सरकार की भी इससे जुड़ने और सरकारी फंडों को खर्च करने को लेकर आलोचना की। दो दिन बाद ही जाम साहिब को ही 2४ अप्रैल 19६1 को लिखे पत्र में उन्होंने खुले तौर पर सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह को 'नव जागरणवाद' बताते हुए इसकी खुल कर आलोचना की और श्वाचीनी दी कि राष्ट्रपति तथा मंत्रियों का इसमें शामिल होना राष्ट्र तथा अंतर्राष्‍ट्रीय स्तर पर बुरे प्रभाव डालेगा। 17 अप्रैल 19६1 को विदेशी मामलों के मंत्रालय में महासचिव तथा विदेश सचिव को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने निरेश्व दिया कि दूतावासों को सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से पवित्र नदियों के पानी को लेकर किए गए आवेदन पर जरा भी ध्यान न दिया जाए, जो स्पष्ट दर्शाता है कि हिंदू धार्मिक गतिविधियों से वह कितने असहज थे। 9 मई 19६1 को विदेश मंत्रालय के सचिव एस. दत्त को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने इस समारोह के साथ भारत सरकार की किसी भी तरह की संबंन्धता को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर की। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त खूब चंद को 19 मार्च 19६1 को लिखे अपने पत्र में पं नेहरू ने सोमनाथ के अभिष्क के लिए सिंधु नदी के जल के इस्तेमाल को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया और विदेश सचिव के माध्यम से यह संदेश भिजवाया कि इस यात्रा को उनकी स्वीकृ ति नहीं है। 23 मार्च 19६1 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने पूर्ण खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्हें सोमनाथ के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति का शामिल होना बिल्कुल पसंद नहीं। केंद्रीय गृहमंत्री श्री. राजगोपालाचारी को 11 मार्च 19६1

## समुद्र अब केवल व्यापार का रास्ता नहीं रहा वह महाशक्तियों की ताकत परखने की प्रयोगशाला बन गया है

### इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया रूस के कदम ने। रूस ने इस टैंकर की सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए। यह साफ संदेश था कि मरुत्को इस जहाज को केवल एक व्यापारिक पोत नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला मान रहा है।

कुछ सप्ताह से अमेरिका और रूस के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा था। जानकारी के अनुसार, अमेरिका का आरोप था कि यह जहाज प्रतिबंधों को तोड़कर वेनेजुएला का कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में लगा हुआ था। अमेरिका का कहना है कि यह तेल अकै-

## अमर्त्य सेन को नोटिस, अब यही बचा था

पिछले साल अगस्त मेंनेब्रेल पुरस्कार विजेता अश्वेष्वास्त्री अमर्त्य सेन ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया को संश्लेनशीलता से नहीं ह्माला गया तो बड़ी संख्या में गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। श्री सेन ने उस नैकरशही प्रक्रिया की निष्पत्ता पर भी सवाल उठाया था जो नागरिकों से सख्त दरतावेजों राख्य मांगती है, जबकि शायद उनके पास वे दरतावेज उपलबध न हों। उन्होंने कहा था कि उ्मशारसनिक प्रक्रियाएं और समय-समय पर संशोधन आवश्यक है लेकिन ये मैलिक अधिकारों की कीमत पर नहीं होने चाहिए। अमर्त्य सेन ने कहा था कि कई लोगों के पास दरतावेज नहीं हैं। कई लोग वोट नहीं दे सकते. अगर हालत को थोड़ा सुधारने के नाम पर कई लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो यह एक गंभीर गलती बन जाती है, सिर्फ एक गलती को सुधारने के लिए सात नयी गलतियां करना जायज नहीं ठहराया जा सकता।एसआईआर पर ऐसी नकारात्मक टिप्पणी पहली बार नहीं हुई थी, देश का विपक्ष लगातार इन्ही सवालों को उठाते आया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गंधी ने तो बाकायदा वोटर अक्षिकर यात्रा ही इस पर निकाल दी और साथ ही चुनाव आयोग के सामने वोट चेरी के सूत्र भी पेश किए। जिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गंधी को हलफनामा दाखिल करने कहा। अमर्त्य सेन से ऐसी कोई मांग नहीं की गई, लेकिन उन्हें पश्‍बंगाल की एसआईआर और प्रक्रिया के दौरान नैटिस भेजकर आयोग को सामने पेश होने कहा गया।[ची हॉ. न्‍रेस्त्र मंदि की रज में अब ये भी मुमकिन है कि नेब्रेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को नाम की वर्तनी गलत होने के नाम पर चुनाव आयोग नैटिस भेज सकता है। यह एक विवेता और विश्व विख्यात नागरिक के साथ भारत सरकार का सलूक ऐसा है, तो फिर आम आदमी के लिए वह कितनी हेय दृष्टि

## पर्वों का संगमः जीवन में सहज-सजग शुरुआत का आनंद

संगीता मित्तल
नववर्ष जब लोहड़ी और मकर संक्राति के साथ दरसक देता है, तो समय मानो एक क्षण ठहरकर ही रहता है। यह तब होती है, जब हडबडी हमें कुछ याद दिलाते आता है। आंगनों में जलती लोहड़ी का अग्नि, अन्न की सांझेदारी, सूर्य का उत्तरायण होना—ये केवल पर्व नहीं, जीवन की समय—सीमाओं और परिभाषाओं में सफलता को नापने लगे हैं। ऐसी परिभाषाएं, जो हमारे जीवन के सच्ची शुरुआत कभी हडबडी से नहीं होती, वह हमेशा लय और सजगता से जन्म लेती हैं। नया साल हमसे तेज दौड़ने की मांग नहीं करता। वह हमसे सजग होकर मंजिल तक पहुंचने को प्रेरित करता है। लेकिन हर जनवरी के साथ हमारे मन में एक अजीब—सी बेचौनी धर कर जाती है—और बेहतर, और तेज, और अधिक साबित करने की मांग गया कर्म ही कई बार संकट होड़ में हडबडी। लक्ष्य ऊंचे करने, टाइम—टेबल दूंसने और साल के शुरुआती दिनों में ही उपलब्धियां

दिखाने का दबाव। जैसे समय स्वयं हमसे हिसाब मांग रहा हो। जबकि सच्ची शुरुआत कभी दबाव में नहीं करती। यह तब होती है, जब हडबडी की जगह सजगता हो, जब गति से पहले संतुलन बनाया जाए। आज की अधिकांश महत्वाकांक्षाएं प्रेरणा से नहीं, तुलना से जन्म लेती हैं। हम धंधार की समय—सीमाओं और परिभाषाओं में सफलता को नापने लगे हैं। ऐसी परिभाषाएं, जो हमारे जीवन के भीतर की ऋतु, लय और सीमा को शायद ही मानती हों। नतीजा यह है कि जनवरी के अंत में ही बहुत से लोग थक चुके होते हैं। यह थकान अनुशासन है, स्थिर होने लगता है। ये पर्व केवल कमी नहीं, सुनने व समझने की कमी का परिणाम हैं। यह असफलता नहीं, असंतुलन है। कर्म समस्या नहीं है। बिना भीतर टिके और अधिक साबित करने की मांग गया कर्म ही कई बार संकट का रूप ले लेता है। सजगता रहित महत्वाकांक्षा शोर बन जाती है। शुरुआती दिनों में ही उपलब्धियां

मतदान किया था। जब राज्य में एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर को शुरू हुई, तो सेन के नाम से एक एसआईआर जनगणना प्रश्न जारी किया गया। उनके चचेरे भाई संतामानु सेन ने भरा हुआ प्रश्न बीएलओ (राज्य परिवहन अडि कारी) को जमा कर दिया। एसआईआर में अमर्त्य सेन के नाम की वर्तनी में अंतर पाया गया था। इसी पर नैटिस भेजा गया। हालांकि अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि सेन को गलती सुधारने के लिए बीरभूम जिले के बेलपुर स्थित निर्धारित कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने कहा कि एक बीएलओ ( चुनाव अधिकारी) हार्दय के अश्वेष्वास्त्री सेन के पत्रकू निवास शान्ति निकेतन स्थित प्रतीची जाकर आवश्यक कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बृहत् लेसल ऑफिसर को मतदाता सूची में नाम की वर्तनी जैसी छोटी गलतियोंको सुधारने का अधिकार है। इसलिए अमर्त्य सेन के मामले में भी सुधार प्रशासनिक स्तर पर ही किया जाएगा। बता देंकि आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की रिसंगति से जुड़े नैटिस तुरंत डाउनलोड कर चार से पांच दिनों के भीतर संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाए जाएं। इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। इस निर्देश के हिसाब से तो बीएलओ ने सही कार्रवाई की, लेकिन उसे सस्पेंड किया गया, जबकि यहां असल जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार की है। और केवल बंगाल ही नहीं, इससे पहले बिहार में जो विसंगतियां पाई गईं, और अब उत्तरप्रदेश की मसौदा सूची में जो गड़बड़ी सामने आ रही है, सब पर ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए।उप्र में छह जनवरी को जो वोटर लिस्ट सत्यापन की सूची आई है, उसमें 2.89 करोड़ (18 प्रतिशत) नाम कट गए हैं। ब्रूपट लिस्ट में 46.23 लाख मृत, 2.17 करोड़ लोग स्थानांतरित और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। पहले प्रदेश में 15.44



करोड़ वोटर थे, अब 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं। इस सूची पर विपक्ष फिर सवाल उठा रहा है कि आखिर पौने तीन करोड़ मतदाता अगर योग्य थे ही नहीं तो अब तक चुनाव आयोग को इसका पता क्यों नहीं चला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गहरी आपत्ति जताते हुए कहा है कि 18 प्रतिशत नाम कटने का मतलब है कि प्रदेश में हर पांचवां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। वहीं उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराता है बीडीसी के जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रहानों के चुनाव जो कराता है उसने बीते महीने दिसंबर में ही एक सूची तैयार की जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं। लेकिन जनवरी की एसआईआर लिस्ट बताती है कि कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। तो सवाल ये है कि करीब—करीब 4 करोड़ शहरी मतदाता कहां चले गए? कैसे उनके नाम जोड़े जाएंगे? यह वाकई गंभीर सवाल है, जिस पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस नेता गुरदीप सपपल और उनके पूरे परिवार का नाम भी एसआईआर में बाहर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना घर बदला था। क्या घर बदलना और घुसपैठिया होना एक ही है, जिस वजह से मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।उप्र में छह जनवरी को जो वोटर लिस्ट सत्यापन की सूची आई है, उसमें 2.89 करोड़ (18 प्रतिशत) नाम कट गए हैं। ब्रूपट लिस्ट में 46.23 लाख मृत, 2.17 करोड़ लोग स्थानांतरित और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। पहले प्रदेश में 15.44

कहां चले गए? कैसे उनके नाम जोड़े जाएंगे? यह वाकई गंभीर सवाल है, जिस पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस नेता गुरदीप सपपल और उनके पूरे परिवार का नाम भी एसआईआर में बाहर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना घर बदला था। क्या घर बदलना और घुसपैठिया होना एक ही है, जिस वजह से मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।उप्र में छह जनवरी को जो वोटर लिस्ट सत्यापन की सूची आई है, उसमें 2.89 करोड़ (18 प्रतिशत) नाम कट गए हैं। ब्रूपट लिस्ट में 46.23 लाख मृत, 2.17 करोड़ लोग स्थानांतरित और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर थे, अब 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं। इस सूची पर विपक्ष फिर सवाल उठा रहा है कि आखिर पौने तीन करोड़ मतदाता अगर योग्य थे ही नहीं तो अब तक चुनाव आयोग को इसका पता क्यों नहीं चला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गहरी आपत्ति जताते हुए कहा है कि 18 प्रतिशत नाम कटने का मतलब है कि प्रदेश में हर पांचवां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। वहीं उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराता है बीडीसी के जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रधानों के चुनाव जो कराता है उसने बीते महीने दिसंबर में ही एक सूची तैयार की जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं। लेकिन जनवरी की एसआईआर लिस्ट बताती है कि कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। तो सवाल ये है कि करीब—करीब 4 करोड़ शहरी मतदाता कहां चले गए? कैसे उनके नाम जोड़े जाएंगे? यह वाकई गंभीर सवाल है, जिस पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस नेता गुरदीप सपपल और उनके पूरे परिवार का नाम भी एसआईआर मेंबाहर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना घर बदला था। क्या घर बदलना और घुसपैठिया होना एक ही है, जिस वजह से मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा ह

## हैं' सामने आता है। सहजता

हैं' सामने आता है। सहजता कमजोरी नहीं है। वह बिना हिंसा की शक्ति है। आज की थकान शारीरिक से अधिक मानसिक है। कठोर आत्मसंतुष्टि, अर्थात स्वयं अपेक्षाएं और निरंतर स्वयं पर हो सकता है। कि हम समय को जीतने नहीं, समझने को कोशिश करें। बोलने से पहले देखें। तय करने से पहले सुनें। आगे बढ़ें, पर भीतर आक्रामकता के बिना। सहज शुरुआत अनिर्णय नहीं, चलती हुई बुद्धि है। इस राह पर हम पीछे नहीं छूटते। हम पहुंचते हैं, जड़ में टिके, उपस्थित और शांत आत्मविश्वास के साथ। सहजता हमसे ताकतवर बनने को नहीं कहती, वह हमें सच्चा बनने को कहती है। नव वर्ष, सामूहिक संकेत हैं। ये बताते हैं कि हमारी सफलता की मौजूदा परिभाषा मानव स्वभाव से मेल नहीं खा रही। उपस्थिति के बिना उत्पादकता खोखली है। भीतर के आधार के बिना उपलब्धि टिकती नहीं सजगता को चुनना लक्ष्य

अनिश्चितता बढ़ते ही तेल और गैस की कीमतें उछलेंगी, जिसका बोझ सीधे आम जनता पर पड़ेगा। दूसरा असर वैश्विक राजनीति पर होगा। छोटे और मध्यम देश दबाव में आ जाएंगे कि वे किस खेमे में खड़े हों।साथ ही यह टकराव दुनिया को नए गुटों में बांट सकता है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी समूह होगा, तो दूसरी तरफ रूस के साथ खड़े वे देश होंगे जो अमेरिकी वर्चस्व से असहज हैं। यह विभाजन व्यापार, तकनीक और सुरक्षा सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अंतरराष्ट्रीय कानून अब ताकतवर देशों के लिए केवल एक हथियार बनता जा रहा है। जब जरूरत हो तो कानून की दुहाई दी जाती है और जब जरूरत न हो तो उसे ताक पर रख दिया जाता है। इससे वैश्विक व्यवस्था की नींव कमजोर होती है।बहरहाल, यह कहना गलत नहीं होगा कि यह टैंकर भविष्य की झलक है। आने वाले समय में ऐसे टकराव और तेज होंगे। समुद्र, आकाश और ऊर्जा संसाधन नई जंग के मैदान बनेंगे। अमेरिका और रूस की यह रस्साकशी केवल दो देशों की नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ी हुई है।



